कार्यालयी हिंदी की प्रकृति

प्रयोजनमूलक हिंदी की बढ़ती परिधि

डॉ. बिभा कुमारी, हिंदी विभाग, विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय, राजनगर

हिंदी विविध रूपों में प्रयुक्त होती रही हैं। उसके कितने ही अलग – अलग रूप विकसित हो चुके हैं। बोलचाल की भाषा से लेकर वह संपर्क भाषा, राजभाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, जनसंचार की भाषा आदि अनेक रूपों में सफलतापूर्वक प्रयोग की जाने लगी है। साहित्य से इतर जब पत्रकारिता में हिंदी का प्रयोग होने लगा। पत्रकारिता के साथ ही खेलकूद की भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग होने लगा। पत्रकारिता से आगे चलकर कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग आरंभ हुआ। यही कार्यालयी हिंदी है।

- 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। तबसे न्यूनाधिक रूप में कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग होने लगा। कार्यालयी हिंदी की प्रकृति साहित्यिक हिंदी से पर्याप्त भिन्न है। कार्यालयी हिंदी की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है –
- 1.कार्यालयी हिंदी में प्रमुख रूप से अभिधा का प्रयोग होता है। यह साहित्यिक हिंदी से बिल्कुल भिन्न होती है।
- 2. कार्यालयी हिंदी की अपनी प्रयुक्तियां हैं। इसमें पारिभाषिक और अर्धपारिभाषिक शब्द शामिल हैं।
- 3. कार्यालयी हिंदी में ऐसे भी शब्द हैं जो विषमस्रोतीय घटकों से बने हैं। जैसे – उपकिराएदारी, अस्टाम्पित।

- कार्यालयी हिंदी में अन्य कार्यालयी भाषाओं की तुलना में अधिक शैलियां हैं। जैसे –
- आज कई अधिकारी न्यायालय में नहीं आए।
- आज कई ऑफिसर कोर्ट में नहीं आए।
- आज कई अफसर अदालत में नहीं आए।
- इसके अतिरिक्त मिश्रित प्रयोग की भी शैली है।
- जैसे – आज कई अधिकारी कोर्ट में नहीं आए।

- कार्यालयी हिंदी में कुछ अर्थों या संकल्पनाओं के लिए सामान्य हिंदी से सर्वथा अलग शब्द प्रयोग में आते हैं, ऐसे शब्द पारिभाषिक शब्द हैं। जैसे – परिसमापक, दूतावास, आबंटन आदि।
- कार्यालयी हिंदी में कुछ ऐसे शब्द भी प्रयोग किए जाते हैं जो सामान्य भाषा में अन्य अर्थ में आते हैं तथा कार्यालयी हिंदी में अन्य अर्थ में। ऐसे शब्द अर्धपारिभाषिक कहलाते हैं। जैसे – सहचरी (Attache) आदि। शब्दों की तरह ही कुछ संक्षेपों का भी प्रयोग बिल्कुल पारिभाषिक शब्दावली की तरह होता है, और ये कार्यालयी हिंदी की अपनी खास विशेषताओं में से एक हैं। जैसे – आ. छु. (आकस्मिक छुट्टी) दै. भ. (दैनिक भत्ता)

- कार्यालयी हिंदी में भाषा प्रयोग व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि शासन – तंत्र के एक अंग के रूप में होता है। इसलिए वाक्य – प्रयोग में निर्वैयक्तिकता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, यही कारण है कि कार्यालयी हिंदी में वाक्य – प्रयोग में कर्मवाच्य की प्रधानता होती है। कथन व्यक्ति सापेक्ष न होकर व्यक्ति निरपेक्ष होता है। जैसे – सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कल अवकाश रहेगा।